

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई में दिवसों का खर्च के साथ
5/12/2013	<p style="text-align: center;">सारण समाहरणालय, छपरा। न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा। जिला विधि प्रशाखा आपूर्ति अपील वाद सं० 123/2011 जय नन्दन राय बनाम अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर आदेश</p> <p>संदर्भित अपील आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं० 18391/2013 जय नन्दन राय बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 18.11.2013 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। उक्त रिट याचिका अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के आदेश ज्ञापांक 1029/आपूर्ति दिनांक 19.11.2011 के विरुद्ध वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गई।</p> <p>वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि जिला पदाधिकारी द्वारा गठित पंचायतवार जाँच दल द्वारा दिनांक 25.10.2011 को जय नन्दन राय, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम पंचायत बजहियों, प्रखंड-दरियापुर की जाँच की गई। जाँच के क्रम में दुकान बंद पाई गई थी। उक्त अनियमितता के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण ठोस प्रमाण के साथ पत्र प्राप्त के दो दिनों के अंदर समर्पित करने का निदेश दिया गया था। विक्रेता के द्वारा प्राप्त कराए गए स्पष्टीकरण पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनपुर से मन्तव्य की जाँच की गई थी। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनपुर ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदन किया था कि विक्रेता का स्पष्टीकरण भ्रामक एवं असंतोषजनक है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 यथा संशोधित 2011 की कंडिका 7(1)(11) के तहत इनकी अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की थी। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनपुर के मन्तव्य के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर ने विक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी थी।</p> <p>अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता ने दुकान बंद पाई थी, के संबंध में बतलाया कि अपीलार्थी दुकान खुलने की अवधि तक वह अपने दुकान पर ही था, उस समय कोई भी पदाधिकारी दुकान पर नहीं आए थे। उसके बाद अपीलार्थी जमीन निर्बाध बनाने अवर निबंधन कार्यालय, सोनपुर चला गया था (निबंधन कार्यालय सोनपुर निबंधित जमीन की छायाप्रति संलग्न)। यह भी बतलाया कि निबंधन कार्यालय, सोनपुर</p>	

[Handwritten Signature]

